

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0 नि0 वि0 मथुरा

पत्रांक 2093/...C-20

दिनांक 31/8/19

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(आपूर्ति विभाग)
मथुरा।

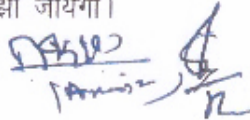
विषय:-जनपद मथुरा में मथुरा सादाबाद मार्ग (प्रोजि0मा0-102) के कि0मी0-11 है0मी0 8 (चैनेज 10.765 कि0मी0) में स्थित ग्राम - मुबारिकपुर बांगर, तहसील-महावन, जिला-मथुरा के खसरा सं0 177 में सड़क के बायी ओर, आवेदक टैरिटरी मैनेजर (रिटेल) वास्ते भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, डी-1, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल ऐरिया साइट-बी, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-आपका पत्रांक 1054/जि0पू0अ0-पैट्रोलियम लि0-अना0-प्र0-पत्र/19 दिनांक 14.08.2019

महोदय

विषयक प्रकरण में आवेदक टैरिटरी मैनेजर (रिटेल) वास्ते भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, डी-1, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रियल ऐरिया साइट-बी, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा द्वारा मथुरा सादाबाद मार्ग (प्रोजि0मा0-102) के कि0मी0-11 है0मी0 8 (चैनेज 10.765 कि0मी0) में स्थित ग्राम - मुबारिकपुर बांगर, तहसील-महावन, जिला-मथुरा के खसरा सं0 177 में सड़क के बायी ओर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु विभागीय अनापत्ति चाही गयी थी। इस क्रम में आवेदक को सड़क की मध्य रेखा से 22.86 मी0 की दूरी पर वफर स्ट्रिप, 32.86 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प/डिस्पेंसर यूनिट) तथा 50.04 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित भवन के निर्माण करने की अनुमति हेतु संस्तुति निम्न शर्तों सहित दी जा सकती है:-

- 1- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- 2- आवेदक को प्रत्येक दशा में पेट्रोल पम्प परिसर के पानी का वहाब इस प्रकार रखना होगा कि पानी बिना अवरोधक के सीधा मार्ग सीमा समान्तर बनने वाली प्रस्तावित नाली में ही आये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़क का पानी पहुँच मार्ग से इसी नाली में पहुँचे। पानी किसी भी दशा में सड़क पर एकत्रित न होने पाये।
- 3- मार्ग से पेट्रोल पम्प के स्थल का लेवल मार्ग की लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जायेगा।
- 4- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 के कोड सं0-12-1983 के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 5- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।
- 6- पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली इस पुलिया के ऊपर स्टील पाइप के कोटिल क्रेचर बना दिये जाय ताकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड नाली से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
- 7- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0 नि0 वि0 के मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के नियमों के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 8- पेट्रोल पम्प के पैव्ड ऐरिया का लेवल सड़क के लेपित मार्ग के मध्य बिन्दु की सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जाय।
- 9- वफर स्ट्रिप के पास हेजिज की ऊँचाई 60 से0मी0 से ऊपर कदापि न रखी जाय।
- 10- निर्माण स्थल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।







क्रमशः पेज 2 पर

(2)

- 11-भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा करा लिया जाये, इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 12-यदि उक्त भूमि किसी अन्य स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आती हो तो आवेदक को सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 13-लोक निर्माण विभाग के मार्ग चौड़ीकरण के समय यदि पेट्रोल पम्प को अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक द्वारा अपने खर्चे पर उक्त कार्य कराना होगा, इस क्षति के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
- 14-आवेदक को प्रस्तावित निर्माण से मार्ग तक एप्रोच-मार्ग की लीज पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु अनुमति मिलने के उपरान्त लो0 नि0 वि0 से लो0 नि0 वि0 की परिकल्पनाओं एवं नियमों के अनुसार लीज एग्रीमेन्ट में वर्णित शर्तों के रूप में अलग से करानी होगी अन्यथा यह अनुमति मान्य नहीं होगी।
- संलग्न-मानचित्र दो प्रति में (मय संस्तुति सहित)

पत्रांक/...

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड-1, लो0 नि0 वि0, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड-1, लो0 नि0 वि0, मथुरा।

संलग्न- मानचित्र एक प्रति में (मय संस्तुति सहित)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0 नि0 वि0
मथुरा
दिनांक 08.10.19

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
मथुरा